

मिसिल संख्या 2 (8)/2017-स्थापना/2346-2428
भारत सरकार Government of India
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग Department of Agriculture & Farmers Welfare
विस्तार निदेशालय Directorate of Extension

कृषि विस्तार भवन, Krishi Vistar Bhawan
पूसा Pusa, नई दिल्ली - 110012

दिनांक 13 जुलाई, 2023

रिक्ति परिपत्र

विषय:-विस्तार निदेशालय में स्तर-7 में (रु. 44900-142400) में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के दो पद (01 प्रत्याशित रिक्ति) को प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) से भरे जाने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि विस्तार निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के दो पद (01 प्रत्याशित रिक्ति) स्तर-7 में (रु.44900-142400) में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा भरा जाना है।

प्रतिनियुक्ति:

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों या कानूनी या स्वायत्त संगठनों या पब्लिक सेक्टरों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त संस्थानों के अधीन ऐसे अधिकारी:-

- (क) (i) मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किए हो; या
(ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 में (रूपये 3,5000-1,12,400) या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष सेवा की हो, और
(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों-
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री।
(ii) प्रशासनिक और स्थापन कार्य में दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पण : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

चयनित अधिकारी के पास यह विकल्प होगा कि यह तो वह वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसरण में अपने ग्रेड के साथ-साथ प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता आहरित करें अथवा सामान्य नियमों के तहत पद से संबंध वेतनमान में वेतन नियत करवाए।

अनुरोध है कि रिक्ति का सम्यक प्रचार किया जाए और उपयुक्त एवं इच्छुक कर्मियों के आवेदन पत्र संलग्न प्रोफार्मामें उनकी सेवा के विस्तृत ब्यौरे तथा पिछली 5 वर्षों की विधिवत सत्यापित गोपनीय रिपोर्ट की फोटो प्रतियों के साथ रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशित होने के 60 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी के नाम भेजे।

कृ.पू.उ.

मिसिल संख्या 2 (8)/2017-स्थापना/2346-2428
भारत सरकार Government of India

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग Department of Agriculture & Farmers Welfare
विस्तार निदेशालय Directorate of Extension

कृषि विस्तार भवन, Krishi Vistar Bhawan
पूसा Pusa, नई दिल्ली - 110012

दिनांक 13 जुलाई, 2023

Vacancy Circular

Subject:- Filling up of two (02) vacancies (**one Anticipated**) of Assistant Administrative Officer in the Level 7 (Rs. 44900-142400), in the Directorate of Extension by deputation (Including Short-Term contract) – regarding.

The undersigned is directed to say that two (02) vacancies (**One Anticipated**) of **Assistant Administrative Officer in the Level 7 (Rs. 44,900-1,42,400)**, (Group 'B') (Gazetted) (Ministerial) in the Directorate of Extension, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Department of Agriculture & Farmers Welfare, New Delhi, is required to be filled up by deputation (including Short Term Contract).

Deputation (including Short Term Contract):

Officers under the Central Government or State Government or Union Territories, Administrations or Statutory or Autonomous Organizations or Public Sector Undertakings or Universities or Recognized Research Institutions:-

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre or Department; or
- (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level - 6 (Rs. 35,400-1,12,400) in the Pay Matrix or equivalent in the parent Cadre or Department; and
- (b) Possessing the following education qualifications and experience:-
- (i) Graduate degree from a recognized University or Institute.
- (ii) Two years' experience in Administration and Establishment work.

Note: The departmental officer in the feeder grade who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organizations or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

The selected officer will have the option either to draw his grade pay plus deputation (duty) allowance in accordance with the Ministry of Finance instructions issued from time to time or gets his pay fixed in the scale of pay of the post in accordance with the normal duties.

...contd....

जीवन वृत्त / प्रोफार्मा

पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया गया है.....

क्रम सं.	विवरण				
1	नाम और पता (साफ अक्षरों में)				
2	जन्म तिथि (ईसवी सन् में)				
3	केन्द्रीय सरकार के नियमों के अधीन सेवानिवृत्ति की तिथि				
4	शैक्षणिक योग्यता				
5	क्या आप पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं पूरी करते हैं: (यदि किसी योग्यता को नियम के अंतर्गत समतुल्य योग्यता के रूप में माना गया है तो, उसे स्पष्ट करें)				
	आपेक्षित योग्यताएं / अनुभव			अधिकारी द्वारा धारित योग्यता / अनुभव	
	अनिवार्य				
	(1)				
	(2)				
	(3)				
	वांछनीय				
	(1)				
	(2)				
6	ऊपर दी गई प्रविष्टियों के आधार पर, कृपया स्पष्ट करें कि क्या आप पद की अपेक्षाएँ पूरी करते हैं ?				
7	कालक्रमानुसार नियोजन का विवरण यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त हो तो अलग से पृष्ठ संलग्न करें और उस पर अपने हस्ताक्षर करके विधिवत प्रमाणित करें ।				
कार्यालय / संस्थान / संगठन का नाम	धारित पद	से	तक	वेतनमान एवं मूल वेतन	कार्य का स्वरूप